

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011
टेलीफोन नं0 2551330, 2558408

रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर
प्रपत्र एवं शर्तें

आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स के लिए
रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित हैं

ऑफर क्रय करने की अंतिम तिथि 15.04.2020
ऑफर जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2020 समय अपरान्ह 3.00 बजे तक
ऑफर खोलने की तिथि 16.04.2020 समय अपरान्ह 4.00 बजे

कीमत 1,000/- रुपये

(कुल पृष्ठ-11)

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011
टेलीफोन नं0 2551330, 2558408

**आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स
निर्माण एवं फिटिंग के लिए
रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित हैं**

मध्यप्रदेश माध्यम को भविष्य में प्राप्त होने वाले आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स निर्माण एवं फिटिंग के लिये प्रदेश के प्रमुख बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शहरों की प्रतिष्ठित एवं 3 वर्षों की अनुभवी फर्मों से रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्रपत्र एवं शर्तें रूपये 1,000/- नगद जमा कर (जिसकी वापसी नहीं होगी) दिनांक 15.04.2020 तक कार्यालयीन समय/दिनों में फर्म के लेटरहेड पर आवेदन पत्र देकर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सीलबंद ऑफर दिनांक 15.04.2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। प्राप्त ऑफर अगले दिन (दिनांक 16.04.2020) अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित आफरकर्ताओं के समक्ष खोले जायेंगे। ऑफर के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) प्रतिष्ठित बैंक के बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो म. प्र. माध्यम, भोपाल के नाम से देय हो जमा करना होगा। यह विज्ञापन म.प्र. माध्यम की वेबसाइट www.mpmadhyam.in पर भी उपलब्ध होगा। किसी भी ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

शर्तों में उपरोक्त सामग्री मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा निर्धारित किये जाने वाले स्पेसीफिकेशन एवं डिजाईन के अनुसार निर्मित करके, फर्म को समय-सीमा में सामग्री माध्यम के कार्यालय/दिये जाने वाले पते पर उपलब्ध करानी होगी।

उपरोक्त सामग्री निर्माण एवं फिटिंग/प्रदाय का विवरण, शर्तें आदि अलग-अलग दी जा रही हैं। सभी प्रकार की सामग्री के लिए दरें ऑफरकर्ता द्वारा अलग-अलग निर्धारित प्रपत्र में दी जाये।

आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स के लिए विवरण

1. आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स विभिन्न आकार (जैसे – 2'X2' / 2'X3' / 3'X5' / 3'X6' / 4'X8' / 5'X10' / 8'X8' / 10'X10' / 10'X12' / 8'X16' / 10'X20' / 10'X30' / 20'X20' / 15'X30' / 20'X30' / आकार) में बनवाये जा सकते हैं, बोर्ड का आकार आवश्यकतानुसार अलग-अलग होगा। आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स का निर्माण उसके आकार के अनुसार मजबूती, टिकारूपन एवं आवश्यक तकनीक को ध्यान में रखते हुये, फ्रेम का निर्माण लगभग 1"X1" से लेकर 4"X4" तक के होलो पाईप आयरन (M.S.) में करना होगा, जिसमें आवश्यकतानुसार स्टेण्ड लगाकर जमीन पर भी रखना होगा। इस कार्य के लिये बोर्ड के आकार के अनुसार बोर्ड निर्माण में निम्नांकित वजन का आयरन पाईप उपयोग करना होगा :-

क्र.	आयरनफ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स के आकार	आयरनपाईप की लम्बाई 20 फीट होने पर पाईप का वजन (के. जी. में)
1.	एक से 100 वर्गफीट तक	8 के. जी. (लगभग)
2.	101 से 300 वर्गफीट तक	12 के. जी. (लगभग)
3.	301 से 600 वर्गफीट तक	20 के. जी. (लगभग)

फर्म द्वारा उपरोक्त बोर्ड्स के लिये आवश्यकतानुसार स्टेण्ड बनाना होगा अथवा बोर्ड को पिलर लगाकर जमीन में फिटिंग करनी होगी। इस कार्य के लिये प्रयुक्त स्टेण्ड अथवा पिलर का साईज एवं वजन, बोर्ड के वजन वहन करने की क्षमता के अनुसार रखना होगा। आयरन फ्रेम बोर्ड पर उच्च क्वालिटी का फ्लेक्स (जो 340 जीएसएम) या उससे अधिक का होगा, जिसका मुद्रण कम से कम 1440 डी.पी.आई. में करना होगा।

2. आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री उच्च स्तरीय होना आवश्यक है।
3. आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स म.प्र. माध्यम द्वारा बताये जाने वाले कार्यक्रम स्थान पर इस प्रकार लगाना होगा कि विज्ञापन आसानी से देखा / पढ़ा जा सके।
4. आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स खराब होने पर तत्काल बदलने की व्यवस्था करना होगी।
5. फर्म द्वारा सामग्री विक्रय की दरें (समस्त सामग्री पर म.प्र. माध्यम का स्वामित्व होगा) :- आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स के निर्माण, फ्लेक्स फिटिंग एवं सामग्री प्रदाय (विक्रय) की निम्नानुसार दरें अलग-अलग दी जाये :-
- अ- (1) आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड / बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स (फ्लेक्स सहित) निर्माण के लिए प्रति वर्गफुट दरें दी जाये।
- (2) स्टेण्ड निर्माण के लिये दरें प्रति फिट (रनिंग फिट में) अलग से दी जाये।
- ब- आफरकर्ता द्वारा आयरनफ्रेम बैकड्राप / अस्थाई होर्डिंग्स की (बिना फ्लेक्स) प्रति वर्गफुट दरें दी जाये।

- स— आफरकर्ता द्वारा पूर्व से बने हुये बोर्ड के लिए फ्लेक्स निर्माण करके फ्लेक्स फिटिंग के लिये प्रति वर्गफुट दरें दी जाये।
- द— आफरकर्ता द्वारा पूर्व से बने हुये बोर्ड के लिए माध्यम द्वारा फ्लेक्स दिये जाने पर केवल फ्लेक्स फिटिंग की दरें दी जाये।
- इ— आफरकर्ता द्वारा आयरनफ्रेम बोर्ड फ्लेक्स बोर्ड लगाने/आयरन फ्रेम/फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स परिवहन एवं फिटिंग की दरें अलग से दी जाये।
- फ— सामग्री परिवहन – जो सामग्री विक्रय की दरों पर प्रदेश के संभागों/जिलों/विकासखण्डों/पंचायतों के स्तर तक केवल उपलब्ध करानी होगी/पहुंचाने होगी (फिटिंग नहीं करवाई जाती है तो) तो ऐसी सामग्री के लिये आफरकर्ता द्वारा परिवहन व्यय की दरें पृथक से निर्धारित प्रपत्र में दी जाये।
6. सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने की दरें (किराये की अवधि के पश्चात समस्त सामग्री पर ऑफरकर्ता का स्वामित्व होगा) :- आफरकर्ता द्वारा आयरन फ्रेम/फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स किराये पर उपलब्ध कराने, लगवाने/फिटिंग करवाने की किराये की प्रति वर्गफुट दरें दी जाये। निर्धारित अवधि/कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात सामग्री संबंधित स्थान से तत्काल हटानी होंगी।
- आफरकर्ता द्वारा दरें टैक्स रहित (बिना टैक्स) दी जाये। इसके अलावा लागू टैक्स की दरें/विवरण अलग से संलग्न प्रारूप में दी जाये।
7. आफरकर्ता को आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड आयरन फ्रेम/फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स की डिजाईनें म.प्र. माध्यम द्वारा तैयार कर उपलब्ध करायीं जायेंगीं और इन डिजाईनों के अनुसार समस्त सामग्री तैयार कर आफरकर्ता द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रदाय/लगवाने होंगे।
8. सामग्री विक्रय की स्थिति में लगाये गये बोर्ड को निर्धारित अवधि के पश्चात आवश्यक होने पर म.प्र. माध्यम को इसके लिये निश्चित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी आफरकर्ता की होगी। इसके लिये पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. किसी भी फर्म को कार्यादेश दिये जाने पर कार्यादेश के संदर्भ में सम्पन्न किये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स यथा समय आवश्यकतानुसार (कार्यादेश में GPS संबंधी शर्त होने पर) जी.पी.एस. पर अपलोड करना अनिवार्य है।
10. **दरें** :- सामग्री विक्रय अथवा सामग्री किराये की दरें ऑफरकर्ता फर्मों द्वारा दी जाये। उन समस्त दरों में किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स शामिल नहीं किया जाये।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की अनिवार्य शर्तें :-

1. समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन एवं इस प्रपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार समस्त ऑफर सीलबंद लिफाफे के अंदर निर्धारित धरोहर राशि के साथ दिनांक 15.04.2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करना होगा। प्राप्त ऑफर अगले दिन (दिनांक 16.04.2020) अपरान्ह 4.00 बजे इसके लिये गठित की जाने वाली समिति द्वारा उपस्थित आफरकर्ताओं के समक्ष खोले जायेंगे। प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि किसी भी ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत कर दें।
2. इस कार्य की निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि रूपये 5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र) बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो म.प्र. माध्यम, भोपाल के नाम देय हो ऑफर के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. सभी कार्यों के लिये डिजाईन उपलब्ध कराई जायेंगी और संबंधित फर्म को डिजाईन एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार समय सीमा में कार्य करना होगा।
4. यदि डिजाईन एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार फर्म द्वारा समय सीमा में कार्य करके नहीं दिया जाता तो कार्यादेश/कार्य पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से निरस्त कर दिया जायेगा एवं निरस्त किये गये कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. फर्म द्वारा कार्य को कार्यादेश के अनुसार संतोषप्रद रूप से सम्पादित किये जाने, इस कार्य का भुगतान संबंधित विभाग से प्राप्त होने के बाद भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
6. धरोहर राशि किसी प्रतिष्ठित बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में 'मध्यप्रदेश माध्यम' के नाम से भोपाल में देय होगा।
7. यह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर सामान्यतः 2 वर्षों के लिये मान्य रहेगा, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से आगे भी एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। इस कार्य के लिये अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में रद्द भी किया जा सकता है। म.प्र. माध्यम द्वारा अत्यन्त आवश्यकता होने पर निर्धारित दरों पर अन्य फर्मों से भी अल्प मात्रा में कार्य करवाया जा सकता है। इस संबंध में किसी आफरकर्ता की आपत्ति मान्य नहीं होगी। अतः इस संबंध में कार्य की न्यूनतम गारंटी नहीं दी जा सकती है।
8. मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के लिये कार्य/प्रचार-अभियान के कार्य किये जाते हैं।
9. म.प्र. माध्यम द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए समय-समय पर जो कार्यादेश दिये जायेंगे, जिनमें आवश्यकतानुसार समय-सीमा, विस्तृत विवरण, शर्तें एवं पूरक शर्तें भी दी जा सकती है, जिसे आदेशानुसार सम्पादित करना होगा।
10. ऑफरकर्ता के पास उनकी फर्म स्थापना/पंजीयन/रजिस्ट्रेशन एवं फर्म पर लागू होने वाले सभी प्रकार के टैक्स पंजीयन (जीएसटी नम्बर/पैन नम्बर आदि) प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। ऑफर के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की फोटोप्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये। इस कार्य के लिये प्रस्तुत किये गये आफर के साथ ई-पेमेंट के लिये जानकारी संलग्न करना होगा।

11. आफरकर्ता फर्म की स्थापना/पंजीयन/रजिस्ट्रेशन में इस प्रकार के कार्यों को करने की अनुमति होना आवश्यक है।
12. ऑफरकर्ता फर्म को आयरनफ्रेम फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/केवल अस्थाई होर्डिंग्स संबंधी समस्त कार्यों का मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक कार्य करने का पिछले लगातार तीन वर्षों का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है। इसके लिये प्रदेश की ग्राम पंचायत स्तर तक शासकीय, अर्द्ध शासकीय एवं प्रदेश स्तरीय प्रमुख संस्थाओं के कार्य करने संबंधी प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करना होगी। इस प्रकार के कार्य सम्पन्न करने के लिये आवश्यक क्षमता/व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके लिये आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करना होगी।
13. आफरकर्ता द्वारा इस वित्तीय वर्ष सहित पूर्व के 3 वर्षों के उक्त प्रकार के कार्यों का अनुभव संबंधी पिछले लगातार तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के 2-2 कार्यादेश जिनकी राशि रुपये 15-15 लाख से अधिक हो अर्थात् कुल 6 कार्यादेशों/प्रमाणों (जो कार्य वास्तव में सम्पन्न किये गये हों) की फोटोप्रतियां ऑफर के साथ संलग्न करना होगी। आफरकर्ता इस वित्तीय वर्ष सहित पूर्व के इस बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स निर्माण एवं फिटिंग संबंधी कार्यों के सम्पन्न किये जाने के प्रमाण देयकों की प्रति संलग्न करना होगा।
14. फर्म का पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम रुपये एक करोड का टर्नओवर होना अनिवार्य है। इसके लिए पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित लेखे के साथ वैट तथा जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगी।
15. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर पंचाट अधिनियम के तहत एकमेव मध्यस्थ जो सचिव, जनसम्पर्क विभाग, म.प्र. शासन होंगे, के द्वारा किया जायेगा।
16. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।

प्रबंध संचालक

उपरोक्त समस्त शर्तें ऑफरकर्ता को मंजूर है।
(ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

धरोहर राशि का विवरण

1. बैंक ड्राफ्ट क्र. दिनांक
2. बैंक का नाम.....राशि.....

हस्ताक्षर.....
हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....
फर्म

सील.....
टेलीफोन नं. कार्या.
निवास

मोबाईल नं.

स्थान :-

दिनांक :

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011
टेलीफोन नं० 2551330, 2558408

सामग्री विक्रय (सेल) की दरें

टैक्स रहित (बिना टैक्स) दी जाये
टैक्स विवरण का उल्लेख अलग से किया जाये

आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स के लिए रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर – प्रपत्र 'ए'

<u>क्र.</u>	<u>विवरण</u>	<u>दरें प्रति वर्गफुट (स्टैंड को छोड़कर समस्त कार्यों के लिये)</u> <u>दरें – प्रति रनिंग फुट (स्टैंड के लिए)</u>
1.	आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स के निर्माण एवं फिटिंग के लिए समस्त व्यय सहित दरें अ-(1) आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स के निर्माण की प्रति वर्गफुट दरें	
	(ए) 1 से 100 वर्गफुट तक आकार के (8 के.जी. का पाईप) बोर्ड एवं अस्थाई होर्डिंग्स के लिए दरें	(अंको में) (शब्दों में).....
	(बी) 101 से 300 वर्गफुट तक आकार के (12 के.जी. का पाईप) बोर्ड एवं अस्थाई होर्डिंग्स के लिए दरें	(अंको में) (शब्दों में).....
	(सी) 301 से 600 वर्गफुट अथवा इससे अधिक आकार के (20 के.जी. का पाईप) बोर्ड एवं अस्थाई होर्डिंग्स के लिए दरें	(अंको में) (शब्दों में).....
	(डी) स्टेण्ड की दरें प्रति फिट (रनिंगफिट)	(अंको में) (शब्दों में).....

ब- आयरनफ्रेम बोर्ड/अस्थाई होर्डिंग्स (बिना फलेक्स) निर्माण की प्रति वर्गफुट दरें

(ए) 1 से 100 वर्गफुट तक आकार के (8 के.जी. का पाईप) बोर्ड

के लिए दरें (अंको में) (शब्दों में).....

(बी) 101 से 300 वर्गफुट तक आकार के (12 के.जी. का पाईप) बोर्ड

के लिए दरें (अंको में) (शब्दों में).....

(सी) 301 से 600 वर्गफुट अथवा इससे अधिक आकार के (20 के.जी. का पाईप) बोर्ड

के लिए दरें (अंको में) (शब्दों में).....

(डी) स्टेण्ड की दरें प्रति रनिंग फीट

(अंको में) (शब्दों में).....

स- पूर्व से बने हुये बोर्ड के लिये फलेक्स निर्माण करके फलेक्स फिटिंग की प्रति वर्गफुट दरें

(अंको में) (शब्दों में).....

द- पूर्व से बने बोर्ड के लिए म.प्र. माध्यम द्वारा फलेक्स दिये जाने पर केवल फलेक्स फिटिंग की दरें

(अंको में) (शब्दों में).....

इ- आयरनफ्रेम फलेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स परिवहन एवं लगाने/फिटिंग की दरें

(ए) सम्पूर्ण म.प्र. के लिये

(1) सामग्री परिवहन एवं फिटिंग की प्रति वर्गफीट दरें

(अंको में) (शब्दों में).....

(2) स्टैंड परिवहन एवं फिटिंग की प्रति रनिंगफीट दरें

(अंको में) (शब्दों में).....

(बी) सामग्री परिवहन – जो सामग्री विक्रय की दरों पर प्रदेश के संभागों/जिलों/विकासखण्डों/पंचायतों के स्तर तक केवल उपलब्ध करानी होगी/पहुंचाने होगी (फिटिंग नहीं करवाई जाती है तो) तो ऐसी सामग्री के लिये परिवहन व्यय की दरें

(1) सामग्री परिवहन की प्रति वर्गफुट दरें

(अंको में) (शब्दों में).....

(2) स्टैंड परिवहन की प्रति रनिंग फुट दरें

(अंको में) (शब्दों में).....

2. टैक्स विवरण –

(1) टैक्स का प्रकार/नाम.....

(2) टैक्स का प्रतिशत

(अंको में) (शब्दों में).....

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011
टेलीफोन नं० 2551330, 2558408

सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने की दरें

टैक्स रहित (बिना टैक्स) दी जायें
टैक्स विवरण का उल्लेख अलग से किया जाना है

आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स किराये पर उपलब्ध कराने के लिए
रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर-प्रपत्र 'बी'

क्र. विवरण दरें- प्रति वर्गफुट (स्टेण्ड छोड़कर समस्त कार्यों के लिये)
दरें - प्रति रनिंग फुट (स्टेण्ड के लिये)

आयरन फ्रेम फ्लेक्स बोर्ड/बैकड्राप/अस्थाई होर्डिंग्स किराये पर उपलब्ध कराने के लिए समस्त व्यय (सामग्री निर्माण, परिवहन एवं फिटिंग व्यय सहित) सहित किराये की प्रति वर्गफुट दरें सम्पूर्ण म.प्र. के लिए दी जाये। (एक से 7 दिन की अवधि होने पर एक से 7 दिन की कुल अवधि के लिए एकजाई प्रति वर्गफुट दरें दी जाये। इसी प्रकार 8 से 15 दिन की अवधि होने पर 8 से 15 दिन के बीच कुल अवधि के लिए एकजाई प्रति वर्गफुट दरें दी जाये। अर्थात् एक से अधिक दिन के लिए प्रतिदिन की दरें नहीं दी जाये, बल्कि उपरोक्तानुसार दोनों प्रकार (अ-एक से 7 दिन के लिये एवं 8 से 15 दिन के लिये पृथक-पृथक) की कुल/समस्त अवधि के लिए एकजाई प्रति वर्गफुट दरें दी जाये)

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने की प्रति वर्गफुट दरें दी जाये :-

	<u>1 से 7 दिन तक(एकजाई)</u>	<u>8 से 15 दिन तक (एकजाई)</u>
	<u>(प्रति वर्गफुट)</u>	<u>(प्रति वर्गफुट)</u>
(अ) (ए) 1 से 100 वर्गफुट तक आकार के बोर्ड के (8 के.जी. का पाईप) लिए दरें -	(अंको में).....
	(शब्दों में).....
(बी) 101 से 300 वर्गफुट तक आकार के बोर्ड के (12 के.जी. का पाईप) लिए दरें -	(अंको में).....
	(शब्दों में).....

(सी) 301 से 600 वर्गफुट अथवा
इससे अधिक आकार के (20 के.जी.

का पाईप) बोर्ड के लिए दरें – (अंको में).....
(शब्दों में).....

(ब) स्टैण्ड की मध्यप्रदेश में किराये की प्रति रनिंगफिट दरें :-

(प्रति रनिंगफिट)

(प्रति रनिंगफिट)

(अंको में).....

(शब्दों में).....

(3) टैक्स विवरण –

(1) टैक्स का प्रकार/नाम

(2) टैक्स का प्रतिशत (अंको में) (शब्दों में).....

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

दिनांक :

फर्म

सील.....

टेलीफोन नं. कार्या

निवास

मोबाईल नं.